

Parts of Indian Constitution



Originally the constitution contained 395 articles divided in 22 parts and 8 schedules. At present there are 448 articles in 25 parts, 12 schedules.

Part	Contains	Articles
Part I	Union and its Territory	1 to 4
Part II	Citizenship	5 to 11
Part III	Fundamental Rights	12 to 35
Part IV	Directive Principles of State Policy	36 to 51
Part IVA	Fundamental Duties	51A
Part V	The Union	52 to 151
Part VI	The States	152 to 237
Part VII	States in the B part of the First schedule (repealed by 7 th Amendment)	
Part VIII	The Union Territories	239 to 242
Part IX	The Panchayats	243 to 243O
Part IXA	The Municipalities	243P to 243ZG
Part IXB	The Co-operative Societies	243ZH to 243ZT

Part X	The scheduled and Tribal Areas	244 to 244A
Part XI	Relations between the Union and the States	245 to 263
Part XII	Finance, Property, Contracts and Suits	264 to 300A
Part XIII	Trade and Commerce within the territory of India	301 to 307
Part XIV	Services Under the Union, the States	308 to 323
Part XIVA	Tribunals	323A to 323B
Part XV	Elections	324 to 329A
Part XVI	Special Provisions Relating to certain Classes	330 to 342
Part XVII	Languages	343 to 351
Part XVIII	Emergency Provisions	352 to 360
Part XIX	Miscellaneous	361 to 367
Part XX	Amendment of the Constitution	368
Part XXI	Temporary, Transitional and Special Provisions	369 to 392
Part XXII	Short title, date of commencement, etc.	393 to 395

राजव्यवस्था में सरकारें

सरकारें दो प्रकार की होती हैं: संघीय सरकार और एकात्मक सरकार

एकात्मक शासन प्रणाली: इस शासन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार का अपने अन्य राजनीतिक उपचिभागों या अंगों पर पूर्ण अधिकार या नियंत्रण होता है।

संघीय शासन प्रणाली: यह राजव्यवस्था की वह प्रणाली हैं जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और उसकी मौलिक इकाइयों अर्थात् राज्यों के मध्य किया जाता है।

सर्वोत्तम उदाहरण: UK में एकात्मक शासन प्रणाली ; US में संघीय शासन प्रणाली

संघवाद की विशेषताएं

1. लिखित संविधान
2. बहु-स्तरीय सरकार
3. कठोर संविधान
4. स्वतंत्र न्यायपालिका
5. दोहरी राजव्यवस्था
6. शक्तियों का विभाजन
7. संविधान की प्रधानता
8. द्विसदनीय प्रणाली

एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं

1. एकल सरकार
2. संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है
3. शक्ति का कोई स्पष्ट पृथक्कण नहीं होता है
4. संविधान की प्रधानता हो भी सकती है और नहीं भी
5. संविधान कठोर या लचीला दोनों हो सकता है
6. न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है या नहीं भी
7. विधायिका द्विसदनीय या एकसदनीय हो सकती है

संघवाद की विशेषताएं

1. सरकार के दो या अधिक स्तर: सामान्य तौर पर संघीय (केंद्र) और प्रांतीय (राज्य) सरकार।
2. कानून बनाने, करारोपण और प्रशासन के निर्धारित मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है।
3. सरकार के प्रत्येक चरण का अस्तित्व और प्राधिकार (या शक्तियां) संविधान द्वारा गारंटीकृत होता है।
4. संविधान के मूलभूत प्रावधानों में सरकार के किसी एक स्तर द्वारा एकतरफा बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे परिवर्तनों के लिए सरकार के दोनों स्तरों की मंजूरी अनिवार्य होती है।
5. न्यायालयों के पास संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ति होती है।
6. सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के ओत का स्पष्ट उल्लेख होता है ताकि उसकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।
7. संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं : (i) देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना तथा (ii) क्षेत्रीय विविधताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।

भारत में संघवाद

(भारतीय संघवाद की प्रकृति एकात्मक और संघीय विशेषताओं से युक्त है और यह अर्ध-संघीय विशेषताओं वाला है)

एकात्मक विशेषताएँ

1. केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां
2. राज्य की मंजूरी के बिना राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संभव
3. एकल नागरिकता
4. अखिल भारतीय सेवाएं
5. राज्य के राज्यपाल का पद
6. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एकीकृत लेखा परीक्षा करना
7. आपातकालीन प्रावधान
8. राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
9. अनुच्छेद 1 – भारत, राज्यों का संघ है

संघीय विशेषताएँ

1. लिखित संविधान
2. संविधान की सर्वोच्चता
3. शक्तियों का विभाजन (सातवीं अनुसूची)
4. स्वतंत्र न्यायपालिका
5. द्विसदनीय प्रणाली (राज्य सभा)

भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताओं वाले प्रावधानों की अधिक संख्या केंद्र सरकार की ओर झुकाव को दर्शाती है। लेकिन, वर्ष 1994 में एस.आर.बोम्मई वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संघवाद, भारतीय संविधान की मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) और उसका हिस्सा है।



एक हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनुच्छेद 370 असमित संघवाद की एक विरोषता से युक्त था। उसमें संप्रभुता का गुण विद्यमान नहीं था।



2/5

संघवाद शासन की एक प्रणाली है। इस प्रणाली में एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की अलग-अलग घटक इकाइयों के बीच **शक्तियों** का विभाजन किया जाता है।



3/5

असमित संघवाद का अर्थ एक संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों के बीच राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में असमान शक्तियों एवं संबंधों पर आधारित संघवाद है।



4/5

भारत को असमित संघ कहा जाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यहां कुछ राज्यों/राज्यक्षेत्रों (जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों) के लिए संविधान में विरोष प्रावधान किए गए हैं।

विरोष प्रावधान



5/5

PANCHAYAT



स्थानीय स्वशासन



स्थानीय स्वशासन की अवधारणा



स्थानीय सरकार जिला व उसके निचले स्तर पर कार्य करती है।



यह सरकार आम नागरिकों के सबसे निकट होती है।



यह इस धारणा पर आधारित है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोगों के लिए आवश्यक घटक हैं।



कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लोग स्थानीय सरकार से बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। वे निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

पंचायती राज : विकासक्रम

1882

स्थानीय स्वशासन (1882 का रेजोल्यूशन)

1919

मॉटेर्ग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार

1938

आँध प्रयोग (The Aundh Experiment)

1940

अनुच्छेद 40 (भारत का संविधान)

1957

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना

1985


जी. वी. के. राव समिति

1986

एल. एम. सिंघवी समिति

1992

73वां और 74वां संविधान संशोधन



स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज संस्थाओं का विकास

प्रमुख स्रोत/समितियां

प्रावधान

भारत का संविधान

बलवंत राय मेहता समिति

अशोक मेहता समिति

जी. वी. के. राव समिति

एल. एम. सिंघवी समिति

- अनुच्छेद 40
- स्थानीय सरकार राज्य सूची का एक विषय है।
- 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया।

- राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच करने के लिए।
- इस समिति ने "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" के लिए एक योजना की सिफारिश की। इसमें ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों सहित एक त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित किए जाने की सिफारिश की गई थी।
- राजस्थान इस प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य बना।

- इस समिति की सिफारिश थी कि त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को द्वि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से बदला जाना चाहिए, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और इसके नीचे के स्तर पर मंडल पंचायत हो।
- समिति ने न्याय पंचायत की भी सिफारिश की थी।

- समिति ने जिला कलेक्टर की विकासात्मक भूमिका कम करने और PRIs को प्रमुख भूमिका देने की सिफारिश की थी।
- जिला विकास आयुक्त का एक पद बनाए जाने की सिफारिश की थी।

- लोकतंत्र और विकास के लिए PRIs के पुनरुद्धार की सिफारिश करने के लिए नियुक्त की गई।
- इसने सुझाव दिया कि PRIs को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
- इस प्रकार 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया। और 20 अप्रैल 1993 को इसे स्वीकृति मिल गयी।

लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका



राजनीतिक चेतना

इसने स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया।



महिला सशक्तीकरण

महिला उम्मीदवारों के लिए कम-से-कम एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं।



लोकतांत्रिक संस्थाओं और कार्यप्रणाली को मजबूत बनाना

लोकतांत्रिक प्रबंधन में नेतृत्व की नई पीढ़ी को प्राप्त अनुभव से विधायी बहस की गुणवत्ता और अन्य उच्चस्तरीय संस्थानों के कामकाज के स्तर में वृद्धि हुई है।



योजना और विकास

पंचायती राज संस्थाओं को योजना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि योजना और विकास की इकाइयों के रूप में (चाहे वह जिला हो या निचले स्तर की इकाई हो) पंचायती राज संस्थाओं ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है।



स्थानीय मांगों के लिए आवाज़ उठाना

पंचायती राज संस्थाएं एक ओर संसद और राज्य विधान-मंडल को, तो दूसरी ओर स्थानीय निकायों को परस्पर जोड़ने वाली कड़ी बन गई हैं। इससे संबंधित सदस्य किसी योजना के उद्देश्यों और उसकी प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने में सक्षम हो गये हैं।



प्रशासकीय संस्थाएं

कुछ नागरिक कार्य जैसे कि ग्रामीण स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्ट्रीट लाइटिंग, पेयजल आपूर्ति, गांव की सड़कों तथा पुलियों का रखरखाव, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन आदि पंचायती राज निकायों द्वारा किए जाते हैं।



पदानुक्रम को तोड़ना

पंचायती राज एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है जहाँ जातिगत और स्थानीय हितों में परस्पर टकराव व संवाद देखने को मिलता है। ये आगे समझौता करके विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति पर पहुँचते हैं।

73वां संविधान संशोधन: एक परिचय

अनिवार्य प्रावधान

- ग्राम सभाओं का संगठन।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का निर्माण।
- प्रत्यक्ष चुनाव।
- चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी।
- अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
- महिलाओं के लिए आरक्षण।
- SECs (राज्य निर्वाचन आयोग) का गठन।
- SFCs (राज्य वित्त आयोग) का गठन।

स्वैच्छिक प्रावधान

- इन निकायों में सांसदों और विधायकों को वोट देने का अधिकार।
- पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान।
- पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय अधिकार देना।
- ग्यारहवीं अनुसूची के तहत कार्यों का हस्तांतरण।

संविधान में लाए गए बदलाव

- 73वें रांशोधन अधिनियम, 1992 के तहत भारत के संविधान में गांग IX को जोड़ा गया।
- संशोधन द्वारा पंचायतों को ग्रामीण भारत के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- इसने संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची को भी जोड़ा जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।



महत्वपूर्ण प्रावधान

- 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था।
- प्रत्येक राज्य में संबंधित राज्यों के अधिनियमों के माध्यम से पंचायतों की स्थापना की गई है।
- प्रत्येक 5 वर्षों में नियमित रूप से पंचायत चुनाव का आयोजन।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण (सीटों के एक तिहाई से कम नहीं)।
- प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। आरक्षित सीटों में से 1/3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए।
- पंचायतों की वित्तीय शक्तियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति।



पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित चुनौतियां



- केवल न्यूनतम प्रशासनिक और वित्तीय विकेंद्रीकरण प्राप्त है, जो राज्य सरकारों के नियंत्रण के अंतर्गत रहता है।
- पंचायतों को कर, शुल्क, चुंगी या टोल लगाने और एकत्र करने के लिए पर्याप्त जिम्मेदारी नहीं दी गयी है।
- पंचायतों को स्वयं के संसाधन सृजित करने के लिए उपयुक्त अधिकार दिए जाने चाहिए।
- राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को या तो आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है या आधे-अधूरे मन से लागू किया गया है।
- राज्य निर्वाचन आयोगों को दी गई शक्तियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं।
- पंचायतों के कामकाज में लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर जैसी परिकल्पना की गयी थी, उस तरह से ग्राम सभाओं को सशक्त और मजबूत नहीं किया गया है।
- संविधान, पंचायतों के लिए जनसंख्या या क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई आकार निर्धारित नहीं करता है।
- अधिकांश राज्यों में, पंचायतों के पास अपने कर्मचारियों की भर्ती करने और उनका वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें निर्धारण करने का अधिकार नहीं है।
- वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण, कर्मचारियों की भर्ती करने की शक्ति (भले ही ऐसी शक्ति मौजूद हो) का व्यापक रूप से अल्प उपयोग किया गया है या बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।
- विभिन्न राज्य पंचायती राज अधिनियमों के तहत संबंधित राज्य सरकार या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारियों के पास पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाइयों की समीक्षा और संशोधन के संबंध में काफी शक्ति है।

शहरी स्थानीय निकाय

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत में शहरी स्थानीय शासन का युग वर्ष 1688 में मद्रास नगरपालिका के गठन के साथ शुरू हुआ।
- बाद में वर्ष 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे में इसी तरह के नगर निगमों का गठन किया गया।
- वर्ष 1882 में, भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव पारित किया जिसने भारत में नगरपालिका शासन के लोकतांत्रिक रूप को निर्धारित किया।
- स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय शासन के एक नए युग की शुरुआत हुई।
- भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का एक विषय बनाया गया।
- वर्ष 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच बड़े शहरों – कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ – में नगर निगम स्थापित करने का निर्णय लिया जो कावल (**KAVAL**) नगरों के रूप में लोकप्रिय हैं।
- वर्ष 1985 में, केंद्र सरकार ने शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की, जिसने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी।
- अंततः 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।





पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का प्रशासनिक ढांचा

- सभी राज्यों में अब एक समान त्रि-स्तरीय पंचायती राज संरचना है जिसके मूल में “ग्राम पंचायत” है। एक ग्राम पंचायत के दायरे में एक गांव या गांवों का समूह आता है।
- मध्य स्तर पर मंडल है (जिसे ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है)। इन निकायों को मंडल या तालुका पंचायतों कहा जाता है। कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में मध्य स्तर के निकाय गठित करने की आवश्यकता नहीं है।
- शीर्ष स्तर पर जिला पंचायत है जिसके दायरे में जिले का संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आता है।
- संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य गठन का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। इसकी भूमिका और कार्य राज्य की विधि द्वारा तय किए जाते हैं।



पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव

- पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के प्रतिनिधि (अध्यक्ष नहीं) सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
- प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है।
- यदि राज्य सरकार पंचायत को उसके पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है, तो नए चुनाव इस तरह के विघटन के छह महीने के भीतर आयोजित किये जाने चाहिए।
- पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले ही पंचायत के विघटन पर गठित नयी पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी जिस समय तक विघटित पंचायत का कार्यकाल होता।
- उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है।



पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय शक्तियां

- **अनुच्छेद 243G:** आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजना तैयार करने के संबंध में PRIs की शक्ति।
- **अनुच्छेद 243H:** राज्य विधायिका निम्नलिखित के लिए कानून बना सकती है:
 - पंचायतों को कुछ कर, शुल्क, टोल और फीस अधिरोपित व एकत्र करने और उसे खर्च करने के लिए अधिकृत करना।
 - राज्य सरकार द्वारा लगाये और संग्रहित किए गए कुछ करों को पंचायत को सौंपना।
 - राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था करना।
 - पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धन को जमा करने के लिए पंचायतों के लिए ऐसी निधियों के गठन का प्रावधान करना और साथ ही ऐसे धन की निकासी का भी प्रावधान करना।



राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K)

- मतदाता सूची तैयार करने, चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण तथा पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन का कार्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये गए राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।



राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I)

- राज्य सरकार द्वारा पांच वर्षों में एक बार राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी।
- राज्य में स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति की जांच करना।
- राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा करना।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की मुख्य विशेषताएं

नगर निकायों के स्तर

- 3 स्तर
- संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए "नगर पंचायत (नगर परिषद) {Nagar Panchayat (town council)}"
- छोटे शहरी क्षेत्र के लिए "नगर परिषद (Municipal Council)"
- बड़े शहरी क्षेत्र के लिए "नगर निगम (Municipal Corporation)"

कार्यकाल

- 5 वर्ष

चुनाव

- नगरपालिका चुनावों के संचालन, अधीक्षण और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग।

आरक्षण

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए नगरपालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए।
- प्रत्येक नगरीय निकाय का एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का अनिवार्य प्रावधान।
- नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के पद के लिए भी आरक्षण प्रदान किया गया।

वित्त

- नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता के लिए सिफारिशें देने हेतु एक राज्य वित्त आयोग।

नियोजन

- जिला नियोजन समिति और महानगर नियोजन समिति के माध्यम से।